(12)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 2/अ0प्र0–4–03/17 1330 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 1305 दिनांक 06.08.2020 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 25.08.2020 समर्पित किया गया है।

2. श्री महाराज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल सासाराम–2 अन्तर्गत काराकाट प्रखंड में श्रीनगर उच्च विद्यालय सुकहरा का भवन निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों पर विभागीय सकल्प ज्ञापांक 607 दिनांक 08.03.19 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री महाराज के विरूद्ध गठित आरोप यथा कार्य में विलम्ब एवं त्रुटि के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं माना गया, किन्तु कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हुए बिना प्रथम चालू विपत्र पारित करने के लिए उन्हें दोषी माना गया। संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए नियमानुसार श्री महाराज से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री महाराज से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षोपरान्त उसे स्वीकारयोग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उसे अस्वीकृत करते हुए उनके पेंशन से कटौती के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं तत्पश्चात बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0 1305 दिनांक 06.08.2020 द्वारा दस वर्षों तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 (दस) प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री महाराज द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 25.08.2020 में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि–

क. भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रयोगशाला जॉच में सही पायी गयी है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप सही नहीं है।

ख. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) तहत उनके विरूद्ध चलाया गया विभागीय कार्यवाही नियमसम्मत नहीं है क्योंकि मामले का आरोप वर्ष 2010–11 है एवं विभागीय कार्यवाही वर्ष 2019 में शुरू की गयी है।

ग. उनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती कर प्रथम पेंशन स्वीकृति संबंधित विभागीय पत्रांक 7077 दिनांक 14.06.17 महालेखाकार को भेजा गया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गयी जबकि पेंशन नियम 139 के तहत प्रस्तावित कमी पर अंतिम आदेश पारित करने के पहले एक नोटिस संबंधित व्यक्ति को देना आवश्यक है।

4. मामले की समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री महाराज द्वारा 1st on A/C Bill पर दिनांक 28.06.2011 को C&P किया गया तथा दिनांक 29.06.2011 को विपत्र पारित किया गया है जबकि केन्द्रीय प्रयोगशाला सासाराम द्वारा उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच दिनांक 12.07.2011 को की गयी है । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हुए

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

बिना प्रथम चालू विपत्र पारित किया गया है। साथ ही Time Extension मद में एकरारनामा के शर्तों के अनुसार संवेदक से कटौती भी नहीं की गयी। उक्त आरोपों पर बचाव के पक्ष में श्री महाराज द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त का कार्यालय बिहार में दायर वाद सं0 –1/लोक (भवन) 08/11 –श्रीनगर उच्च विद्यालय सुकहरा, काराकाट प्रखंड (रोहतास) के विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप के मामले में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के पत्रांक 412 दिनांक 06.05.16 द्वारा लोकायुक्त कार्यालय को समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री महाराज के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक 3406 दिनांक 08.10. 2007 के कंडिका 3 (ii) के अनुसार "लोकायुक्त के जॉचाधीन किन्तु सेवानिवृति के मामलों में चूँकि लोकायुक्त के स्तर पर पूर्व में ही कार्रवाई शुरू कर दी गयी होती है, अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत निर्धारित चार साल की शर्त लागू नहीं होगी।" इस आधार पर श्री महाराज का तर्क की उनके विरूद्ध चलाया गया विभागीय कार्यवाही नियमसम्मत नहीं है, स्वीकारयोग्य नहीं है।

श्री महाराज के विरूद्ध आरोप लंबित रहने के कारण 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति दी गई अर्थात् 10 प्रतिशत पेंशन की कटौती नहीं की गई अपितु स्थगित रखी गई। श्री महाराज को औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3089 दिनांक 23.08.2004 की कंडिका 4 एवं 5 जिसके अनुसार सेवानिवृत कर्मी के विरूद्ध आरोप लम्बित रहने पर औपबंधिक रूप से पेंशन स्वीकृति का प्रावधान है, के आलोक में प्रदान की गई थी तथा ऐसे मामलों में नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27(2) के तहत प्रश्नगत अपील अभ्यावेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि नियमावली में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर यथा विभागीय कार्यवाही संचालित कर, द्वितीय बचाव बयान प्राप्त कर समीक्षोपरान्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर प्रश्नगत दण्ड अधिरोपित की गई है। निष्कर्ष अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्थित हैं। प्रामणित आरोपों के आलोक में अधिरोपित शास्ति उचित है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–03/17 1330 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–301, सिद्धि विनायक अपार्टमेन्ट, राज मेडिकल दुकान के पास, यारपुर खगौल रोड, यारपुर, पो0–जी0पी0ओ0, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–03/17 1330 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.9.21
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in